न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU120035892022
परिवाद संख्या–1641/2022
लक्ष्मी बनाम ओम उर्फ करन सिंह आदि।
थाना ऐरवाकटरा, जिला औरैया।

दिनांक–23.11.2022

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी पर सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मेरी शादी 22 अप्रैल 2022 को विपक्षी ओम उर्फ करन के साथ हुई थी। शादी में दान–दहेज अपनी हैसियत के अनुसार दिया। मेरे साथ पति करन ने मारपीट की थी। बाद में समझौता हुआ। वो घर ले गये। फिर दोबारा मेरी सास–गीता, ससुर महेश, पति ओम उर्फ करन ने मारपीट की तथा अतिरिक्त दहेज के रुप में 50,000/–रुपये, एक लर तथा अंगूठी की मांग करते हैं। न लाने पर जान से मारने की धमकी दी गयी।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 कुलदीप कुमार व साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 शिवबालक को परीक्षित कराया गया है। जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदिका द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, मूल रजिस्ट्री रशीद, मूल शादी कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण ओम उर्फ करन, महेशचन्द्र, गीता देवी व भूरे के विरूद्ध धारा–323, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध धारा–323, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण प्रियंका, रोजी, प्रीती व आरती को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं हैं।

आदेश

अभियुक्तगण ओम उर्फ करन, महेशचन्द्र, गीता देवी व भूरे के विरूद्ध धारा– 323, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 04.01.2023 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
J.O. Code No. U.P.-3738